प्रेस विज्ञप्ति

13.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ज़ोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत संजीव हंस, आईएएस और अन्य के विरुद्ध धन-शोधन मामले में 10.09.2024, 11.09.2024 और 12.09.2024 को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 05 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। धन शोधन गतिविधियों में उनकी संलिप्तता और सहायता के लिए संजीव हंस, आईएएस के करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई।

पीएमएलए के तहत आगे की जांच में संजीव हंस के साथ कुछ निजी व्यक्तियों के करीबी संबंध का पता चला, जिनके साथ उसका वित्तीय लेन-देन था। इसलिए, 10.09.2024, 11.09.2024 और 12.09.2024 को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 05 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, 87 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी , 11 लाख रुपये (लगभग) मूल्य के 13 किलोग्राम चांदी के सिक्के और 1.5 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के 2 किलोग्राम सोने के सिक्के और आभूषण बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। उपरोक्त के अलावा, हवाला लेनदेन/बैंकिंग लेनदेन के विवरण वाले विभिन्न अपराध-संकेती साक्ष्य (भौतिक/डिजिटल) भी बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

इसके अलावा, यह उल्लेख करना उचित होगा कि इससे पहले इस मामले में ईडी द्वारा क्रमशः 16.07.2024, 19.07.2024, 31.07.2024 और 23.08.2024 को पटना, दिल्ली, पुणे, हरियाणा और पंजाब में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई थी, जिसमें क्रमशः 80 लाख रुपये और 70 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और लग्जरी घड़ियों सहित विभिन्न अपराध-संकेती साक्ष्य (भौतिक/डिजिटल) पाए गए और संजीव हंस के परिसरों से जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।